

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन/फैक्स:-0135-2741607, 2742641
ई-मेल:-ccfpmua@gmail.com

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी/
वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

दिनांक: देहरादून 31 मार्च, 2019।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में वन विभाग के अनुदान सं०-27 की राज्य सेक्टर योजना "2406-01-101-05-00-वनों की अग्नि से सुरक्षा" के अन्तर्गत कोषागार मदों में बजट का पुर्नरावटन।

संदर्भ :- शासनादेश सं० 260/X-2-2018-12(27)/2012 दि० 11.02.2019 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई डी-S1902270125

दिनांक 08 फरवरी, 2019 से वित्तीय वर्ष 2018-19 में वन विभाग के अनुदान सं०-27 की राज्य सेक्टर योजना "2406-01-101-05-00-आरक्षित वनों की अग्नि से सुरक्षा" हेतु शासन से कोषागार मदों में अवमुक्त धनराशि ₹3,90,00,000/- (₹तीन करोड़ नब्बे लाख मात्र) का विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को ऑन लाईन आवंटन किये जाने के उपरान्त कतिपय आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा विभिन्न मानक मदों में समर्पण के उपरान्त HOD कोड पर उपलब्ध/आरक्षित धनराशि ₹7.21,995/- लाख (सात लाख इक्कीस हजार नौ सौ पिचानबे मात्र) के सापेक्ष वर्तमान ₹78,000/- (₹अठ्ठत्तर हजार मात्र) का ऑन लाईन पुर्नरावटन विभाग के आहरण वितरण अधिकारी-प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है। कृपया तदनुसार सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों से कोषागार मदों में प्राप्त विलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

- 1- संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 2- धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
- 3- अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्यों को कराया पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।
- 4- कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
- 5- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
- 6- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु-संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 7- धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
- 8- आवंटित/जारी धनराशि के मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर विलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

...2/...

संख्या: नि0 1882(1)/3-5 (व0अ0सु0) तददिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), कौलागढ रोड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड, देहरादून।
- 3- सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
- 9- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी-प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी। कृपया संदर्भित शासनादेश एवं उपरोक्त विन्दु संख्या-1 से 8 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आवंटित/जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
- 11-मुख्य वन संरक्षक, आइ0टी0जी0सी0 कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार



(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019
Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1882/3-5
अनुदान संख्या - 027

अपील नंबर आई सी - H1903274200

आवंटन पत्र दिनांक 31-Mar-2019

DDO Name - DFO Garhwal Forest Division Pauri (4256) , Treasury - Garhwal (4200)

1. लेखा शीर्षक - 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी
101 - वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण
05 - वनों की अग्नि से सुरक्षा (राज्य सेक्टर) (2406-01-800-03 में स्थानान्तरित)
00 - 0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted योग
04 - यात्रा व्यय	25000	0	25000
13 - टेलीफोन पर व्यय	30000	0	30000
15 - गाड़ियों का अंतरिक्षण और पेट	165000	78000	243000
18 - प्रकाशन	18000	0	18000
19 - विज्ञापन, चिकी और विख्याप	50000	0	50000
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	900000	0	900000
26 - मशीनें और मज्जा /उपकरण औ	250000	0	250000
42 - अन्य व्यय	70000	0	70000
44 - प्रशिक्षण व्यय	20000	0	20000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	50000	0	50000
47 - कम्प्यूटर अंतरिक्षण/तन्त्राम्बन्धी	25000	0	25000
	1603000	78000	1681000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

78000